न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 135/2017

1 सुरेश कुमार पुत्र सुवाराम जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।
2 मनोहरी पत्नी सुवाराम जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।
2 हनुमान पुत्र मूला जाति मेघवंशी निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।
3 डुंगाराम पुत्र दुर्गा जाति मेघवंशी निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।
4 राधेश्याम पुत्र सुवाराम जाति मीणा निवासी जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)।
5 किरण पुत्री सुवाराम पत्नी विनोद जाति मीणा निवासी किशोरपुरा (सुलताना) तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)।
6 निम्बू पुत्री सुवाराम पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी किशोरपुरा (सुलताना) तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू (राज.)।
7 इन्द्रा पुत्री सुवाराम पत्नी प्रकाश जाति मीणा निवासी नारेडा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2017 द्वारा
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा
राजस्थान सरकार बनाम सुवाराम वगैरह अन्तर्गत
धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मु.नं. 74/2016

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेद राज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—13.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 74/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धार 177 बाबत भूमि खसरा नमबर 219, 342, 343 का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर * LIBRARY * सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील एवं निर्णय विचारण न्यायालय में वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से के अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 7 खातेदार काश्तकार है और यह भूमि पर कोई अवैध खनन नहीं किया परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 7 को बिना पक्षकार बनोय तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 7 के पिता एवं पति स्व सुवाराम मीणा को पक्षकार बनाया है जबकि उनकी मृत्यु दिनांक 27.12.2008 को ही हो चुकी थी और विचारण न्यायालय ने मृतक के खिलाफ निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है जिससे निर्णय स्वतः ही अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 7 के खिलाफ निष्प्रभावी एवं अवैध है। विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार से रूल्स की पालना नहीं की तथा हल्का पटवारी की गलत व अधुरी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 लगायत 7 को इनके हक कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने का निर्णय पारित कर दिया। अगर किसी प्रकार से बजरी खनन पाया जाता तो उसकी पैनल्टी वसूल की जा सकती थी किन्तु बिना किसी आधार बिन्दू के जमीन से खातेदारी समाप्त नहीं की जाती है। अपीलान्टस के हक में नामान्तकरण संख्या 433 दिनांक 10.05.2016 का भरा गया है इसलिए उनको पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अपीलान्टस को उक्त निर्णय का कोई ज्ञान नहीं था इनको तो दिनांक 04.10.2017 को हल्का पटवारी से पता चला कि इनकी भूमि से इनकी खातेदारी समाप्त कर भूमि सिवाय चक राजकीय घोषित हो गई है जिस पर दिनांक 04.10.2017 को नकल लेने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां आवेदन किया और नकल दिनांक 06.10.2017 को प्राप्त हुई। उसके बाद दिनांक 07.10.2017 को शनिवार होने से न्यायालय का अवकाश हो गया और दिनांक 08.10.2017 को रविवार का सार्वजनिक अवकाश आ गया जिसमें आज यह अपील तुरन्त पेश की जा रही है। फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रिपोर्ट तहसीलदार उदयपुरवाटी के अनुसार ग्राम जोधपुरा के विवादित भूमि खसरा नम्बर 219, 342, 343 रकबा 0.35 हैक्टेयर, 1.72 हैक्टेयर, 1.69 हैक्टेयर में बजरी खनन किया जाना साबित है तथा मौके पर भूमि में गहरे गड्ढे बने हुए है। तथा भूमि उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि में बजरी खनन हेतु किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाने के कारण उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाना तथा उनकी खातेदारी समाप्त कि जाकर भूमि विचारण न्यायालय ने सिवायचक घोषित कर अप्रार्थीगण अपीलांट से कब्जा राज में लेने के आदेश दिये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 30.05.2017 को वास्ते तलबी दिनांक 14.07.2017 को नियत की गई थी। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना रेवेन्यू कॉर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिक प्रकिया की पालना कर अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलका)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर